संख्याः1790 / सैतीस–2–2021–5(53)2018–टी0सी0–2

प्रेषक,

सुधीर गर्ग,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

समस्त मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग–2 लखनऊः: दिनांकः 16 सितम्बर, 2021

विषयः प्रदेश में निराश्रित / बेसहारा गोवंश की सुरक्षा एवं संबर्धन हेतु स्थापित गो–आश्रय स्थलों में संरक्षित गोवंश को वर्षा ऋतु में समुचित सुरक्षा प्रदान करने के संबन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक प्रदेश में स्थापित / संचालित गो आश्रय स्थल / कॉजी हाऊसों / कान्हा उपवन / वृहद गो संरक्षण केन्द्र / पंजीकृत गोशालाओं में संरक्षित गोवंश के संरक्षण एवं भरण–पोषण तथा अन्य के संबन्ध में शासनादेश संख्या 4324 / सैंतीस–2–2018–5(53) / 2018, दिनांक 02 जनवरी, द्वारा नीति का प्रख्यापन एवं तद्क्रम में शासनादेश संख्या 261 / दिनांक 28 जनवरी, 2021 द्वारा परामर्शी मार्ग निदेश निर्गत किए गये जिसमें निराश्रित गोवंश के संरक्षण एवं सुरक्षा पर विशेष बल दिया गया। मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 सरकार प्रश्नगत प्रकरण के प्रति अतिसंवेदनशील हैं तथा गोवंश की सुरक्षा के प्रति सजकता हेतु निर्देशित भी किया जाता है।

2– इस संबन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है वर्तमान में प्रदेश में वर्षा ऋतु अधिक होने के कारण गोवंश की सुरक्षा के प्रति सजगता की नितान्त आवश्यकता है। इस हेतु जनपद में स्थापित प्रत्येक गो–आश्रय स्थलों पर संरक्षित गोवंश को वर्षा ऋतु से बचाव हेतु निम्न सावधानियों पर विशेष ध्यान दिया जायः–

1. मौसम के दृष्टिगत उनके भरण–पोषण तथा वृष्टि / अतिवृष्टि, लाइटनिंग आदि से बचाव, भूसा बैंक में संरक्षित भूसा को भीगने एवं खराब होने से बचाने हेतु समुचित प्रबन्धन, पीने हेतु स्वच्छ पानी एवं वर्षा से गोवंश के बचाव हेतु शेड, तिरपाल आदि की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय।
2. चिकित्सा एवं टीकाकरण की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय, चिकित्सा के अभाव में किसी गोवंश की मृत्यु न हो, का व्यापक संदेश स्थानीय पशुचिकित्साविद को दिया जाय। प्राकृतिक / बीमारी से मृत्यु होने की दशा में वैज्ञानिक तरीके से दफनाया जाय।
3. संपर्क रोड से गो–आश्रय स्थल का मार्ग दुरूस्त हो।
4. गो–आश्रय स्थलों पर जल निकास / ड्रेनेज की व्यवस्था का आंकलन करते हुए यह सुनिश्चित कराया जाना कि वर्षा के कारण कहीं जल–भराव / कीचड़ की स्थिति उत्पन्न न हो। यदि गो–आश्रय स्थल लोलाइन भूमि पर स्थापित किया गया है तो तत्काल मिट्टी भरवा कर खड़जा का कार्य सुनिश्चित कराया जाय।
5. गोवंश की स्वभाविक मृत्यु की दशा में वैज्ञानिक तरीके से तथा अस्वभाविक मृत्यु की दशा में शवविच्छेदन के उपरान्त वैज्ञानिक तरीके से ही ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत / क्षेत्र पंचायत तथा नगरीय क्षेत्र में नगर पंचायत के सहयोग से की शव निरतारण की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाय।
6. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं की सुरक्षा हेतु की गयी तैयारी यथा सुरक्षित स्थल चयन, भूसा क्रय हेतु टेण्डर की कार्यवाही, भूसा भण्डारण की व्यवस्था, टीकाकरण, चिकित्सा की समुचित व्यवस्था

सं0नि0 (गोशाला)
16-09-2021

Scanned with CamScanner

आदि की निगरानी करना तथा अपूर्ण कार्यों को तत्काल व्यवस्थित कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

/

(सुधीर गर्ग)
प्रमुख सचिव

संख्या1790 / सैतीस–2–2021–5(53)2018–टी0सी0–2 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
2. स्टाफ अफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
4. अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज, उ0प्र0 शासन।
5. अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 शासन।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
7. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि प्रत्येक जनपद में गोवंश की सुरक्षा के संबन्ध में जानकारी प्राप्त कर अद्यतन स्थिति से शासन को अवगत कराया जाय।
8. निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ कि प्रत्येक जनपद में संक्रामक पशु रोगों के सापेक्ष व्यापक टीकाकरण का कार्य सुनिश्चित कराते हुए यह सुनिश्चित कराया जाय कि वर्षा ऋतु में होने वाले किसी भी संक्रामक रोगों से संरक्षित गोवंश की मृत्यु न हो। इस हेतु चिकित्सा के व्यापक प्रबन्धन भी सुनिश्चित कराया जाय।
9. समस्त अपर निदेशक, ग्रेड–2, पशुपालन विभाग को इस निर्देश के साथ की प्रभावी अनुश्रण सुनिश्चित किया जाय। मण्डल के जनपदों में कियी प्रकार की शिथिलता हेतु आप स्वयं जिम्मेदार होगें।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by विनोद कुमार द्विवेदी
Date: 16-09-2021 16:26:44
Reason: Approved

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव

कार्यालय, निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रॉकः–833/सा0–2/बारह–573(भाग–3)/2020–21, दिनांकः– 17/9/21

1– समस्त मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि शासनादेश में दिये गये निर्देशों के कम में जनपद में गोवंश की सुरक्षा के सम्बन्ध में अद्यतन स्थिति से सांय 4:00 बजे तक रिर्पोट ई–मेल (jdgoshala.up@gmail.com) पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

2– समस्त मण्डलीय अपर निदेशक ग्रेड–2, पशुपालन विभाग, उ0प्र0।

3– समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

4– समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

5– प्रमुख सचिव, पशुधन, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

(डा0 एस0 के0 मलिक)
निदेशक,
प्रशासन एवं विकास।

Scanned with CamScanner